INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

कोविड काल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा

(Domestic Violence against Women in the Covid Period)

प्रीति
पी-एच.डी. शोधार्थी,
स्त्री अध्ययन विभाग,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
E-mail: negipriti090@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/03.2022-75993667/IRJHIS2203005

सारांश :

कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। नवंबर-2019 में चीन के वुहान की प्रयोगशाला से निकला यह वायरस धीरे-धीरे इंसान से इंसान में फैलने लगा। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में भी कोरोना की पुष्टी हुई है। जनवरी 2020 में यह वायरस भारत में पाया गया। भारत में तेजी से संक्रमित होने के कारण अलग-अलग राज्यों में लोग इसे प्रभावित हुए। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने इस संक्रमण के बचाव हेतु पुरे देश में 21 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया।

मूल शब्द : *कोविड-19, घरेलु हिंसा, महिला, लैंगिक,महामारी, भारत।*

परिचय :

24 मार्च 2020 की रात को तीन सप्ताह के लिये देश में संपूर्ण तालाबंदी की घोषणा करते हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण से लक्ष्मण रेखा का उदाहरण देते हुए घर की सीमाओं के बीच की समानताओं का उल्लेख किया। हम भारतीय इस प्रतिबंध के कारण हमारे सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ने वाले व्यवधानों पर विचार करने लगे। महामारी सेखुद की सुरक्षा के संबंध में चिंता प्रकट हुई। इस महामारी से लगे तालाबंदी के कारण किसी वर्ग, समुदाय को नहीं बल्कि हर वर्ग तथा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्रभावित किया। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। जब तालाबंदी हुई तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे जीवन थम सा गया है।

तालाबंदी से समस्त लोग एक ही घर में रहने लगे, जिस कारण परिवार में आपसी तनाव उत्पन्न हुए। यह तनाव सामाजिक जीवन में अनिद्रा, घरेलु हिंसा, अवसाद एवं आत्महत्या जैसी घटनाएँ आई।

तालाबंदी से विशेषकर महिलाओं पर इस संक्रमण का प्रभाव घरेलु हिंसा के रूप में तब्दील हुआ और दैहिक कष्ट को महिलाओं ने सहन किया। तालाबंदी में घर पर रहने वाले तमाम लोग अपनी इच्छाओं को घर की महिलाओं पर आदेश के रूप में थोपा। परिणाम स्वरूप दोनो विकसित और विकासशील देशों में अचानक घरेलू हिंसा की खबरों में बड़ा इजाफा आया। जो महिलाएं पहले ही अपने घर मेंदुराचारियों के साथ रह रही थीं उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताई गई लक्ष्मण रेखा के दोनों ओर से असहजता का भाव आ रहा था। घर पर रहना उनके लिए असुरक्षा का भाव महसूस करवा रहा था। भारत में महिलाओं को महामारी के दौरान पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक कष्ट महिलाओं को भोगना पड़ा। तालाबंदी में लगाये गए प्रतिबंध जो कि हमारी सुरक्षा हेतु बनाए गए थे। वे आगे चलकर भयावह रूप धारण कर रहे थे। तालाबंदी के पहले हफ्ते में घरेलू हिंसाके मामलों के आंकडे बढ़ते नजर आए। देश और विदेश में नये सिरे से इस विचार की जरूरत महसूस हुई। लिंग आधारित असामानताओं के साथ-साथ कोरोना ने इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया।

युनिवर्सिटी ऑफ मॅनचेस्टर के ग्लोबल डेवेलपमेंट इंसिटीयुट की प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने शोध के माध्यम से पाया कि महिलाओं को कोविड संक्रमण के दौरान पुरुषों की तुलना में रोज़गारका अधिकनुकसान हुआ। कोरोनाकाल में घरों में सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण घरेलू हिंसा में तेजी आई, परंतु कुछ महिलाओं की मोबाईल फोन तक पहूँच न होने के कारण वे अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दे सकी। इसशोध में पाया गया कि कोविड के कारण पुरूष मृत्युदर ने विधवा महिलाओं पर अत्यधिक प्रभाव डाला। यह शोध 'वर्ल्ड डेव्हलपमेंट पत्रिका' में प्रकाशित हुआ है। दूसरे देशों की तरह भारत में भी लंबे समय से चल रही तालाबंदी घरेलू उन हिंसा की पीड़िताओं के लिए कठोर साबित हुई।

भारतीय समाज में महिलाओं के साथ होनेवाली ये हिंसाएँ नयी नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं लंबे समय से शोषण का शिकार हो रही है। स्वाधीनता के पश्चात समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानून महिलाओं में शिक्षा के प्रसार हुआ। महिलाओं में धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक निर्भरता के बावजूद अनेकों महिलाएं अब भी हिंसा की पीड़ा को सहन कर रही है। उनपर घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव, दैहिक शोषण, भावनात्मक शोषण किया जाता है। पिछले कुछ दशकों से महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएँ बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे भारतीय समाज के लिये गहन चिंता का विषय है। क्योंकि पुरुषों ने महिलओं को सुरक्षा देने के बदले उनका अपमान, अमानवीय व्यवहार एवं उनका तिरस्कार किया है। मानवीय इतिहास में होने वाली ये घटनाएं स्वाभाविक ही चिंतनीय हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा एक बहुआयामी मुद्दा है, जिसमें महिलाएँ सामाजिक प्रतिष्ठा, निजी, सार्वजनिक और लैंगिक स्तर पर आज भी अपनी अधिकार के लिए जद्दोजेहद कर रही है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध आलेख में गुणात्मक, मात्रात्मक प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इस प्रविधि में द्वितीय आकड़ा पर आधारित विषयों को अध्ययन करते हुए इसमें प्रमुख विधियों का प्रयोग किया गया है। जिसमें विवरणात्मक, अंतर्वस्तु विश्लेषण एवं आकड़ों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक प्रविधि को शामिल किया गया है।

कोविड-19 के दौरान बढ़ती घरेलू हिंसा के मामले :

23 दिसंबर 2020 के **ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** के रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोरोना काल में घरेलू हिंसा परिवार के माहौल में किए जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार है। जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार जैसे गाली देना, पीटना और उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है। परिवार के अंदर होने वाली घरेलू हिंसा के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं। यह हिंसा अपनी शक्ति को दिखाकर दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण करने की उदेश्य से की जाती है। घरेलू हिंसा की निम्न है- शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, सवेदनात्मक हिंसा, यौनिक हिंसा आदि।

कोरोना काल में घरेलू हिंसा की उदहारणतः- महामारी के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामलों में बढोत्तरी दर्ज की गई। तालाबंदी के कारण सख़्त पाबन्दियों के चलते संसाधनो की उपलब्धता भी सीमित रही 2020 के शुरुआति दिनों में पूर्वोतर भारत में स्थित एक बागान में मन्जीता नामक एक महिला के समक्ष कठिन स्थिति पैदा हो गई। कोविड -19 बीमारी के फैलाव के कारण तालाबन्दी लागू हो चुकी थी। और उसे घर पर अपने ऐसे साथी के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जो उनका उत्पीड़न कर रहा था, जिसके कारण उनको अपने बचाव हेतु सामाजिक संगठन का सहारा लेना पड़ा क्योंकि तालाबंदी के चलते असुविधाओं के कारण वे पुलिस के पास न जा सकी। यह घटना तालाबंदी के दिसंबर 2020 की घटना है।

- **एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष** रेखा ने कहाँ है कि 'मुझे लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल अलग-अलग तरह की शिकायतें देखने को मिली है। महिलाएं पुलिस के पास जाना भी चाहें तो भी वे नहीं जा पा रही है और अधिकतर मामलों में वे खुद ही जाना नहीं चाहती। अगर कुछ दिनों बाद पति रिहा हो जाएगा तो महिला अपना घर नहीं छोड़ पाएगी। उन्होंने आगे बताया, मुझे नैनीताल से एक ईमेल मिला, जहां एक महिला दिल्ली में अपने घर नहीं जा पा रही है और उसका पति उसे लगातार पीटता और प्रताड़ित करता है। उसने एक हॉस्टल में शरण ली थी। जहाँ वह लॉकडाउन के दौरान रह रही थी। वह पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका कहना था कि अगर पुलिस उसके पति को पकड़ लेती है। तो उसे अपने सास-ससुर के पास रहना पड़ेगा और उसके साथ प्रताड़ना जारी रहेगी।
- **राजधानी दिल्ली के अशोक यूनिवर्सिटी** में अर्थशास्त्र की प्रोफ़ेसर अश्विनी देशपांडे कहती हैं कि, एक घटना उनको दखने को मिली जिसमें एक महिला लक्ष्मी है। उसको पता चला कि उनके पति सेक्स वर्कर के पास जाते हैं। तो यह जानकर चिंतित हो गई। कहीं वो वहाँ से कोरोना वायरस लेकर घर ना लौटें, वो ख़ुद को और अपने दो बच्चों को लेकर घबरा गईं और उन्होंने डरते हुए पुलिस में शिकायत की वो बताती है कि पुलिसवालों ने उन्हें चेतावनी दी और उनकी बाइक ज़ब्त कर ली। ताकि वो घर से ना निकले सकें लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं लिया। जब वो घर लौटे तो मुझे बुरी तरह से मारा, उनकी नवसाल की बेटी पड़ोस में भागी गई और मदद माँगी, पड़ोसियों के दख़ल देने के बाद वो अपने पति की मार से बच पाई।. फिर उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाया और फिर पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने गईं। वो बताती हैं। मुझे लगा कि मेरी हालत देखकर वो शिकायत दर्ज करेंगे और मेरे पति को गिरफ़्तार करेंगे लेकिन पुलिसवालों ने ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उल्टा लक्ष्मी को जाने को कहाँ, मैं

ख़ुद को बेबस और अपमानित महसूस कर रही थी। मैं घर वापस जाने को लेकर डरी हुई थी। कहीं उसने मुझे मार दिया तो? अगली सुबह वो अपने बच्चों को लेकर अपने मां-बाप के घर चली गईं। अब भी वो वहीं हैं। वो कहती हैं कि उनके पति ने भी उनसे तब से संपर्क नहीं किया है। मेरी ज़िंदगी तालाबंदी की तरह ही अनिश्चित बन कर रह गई है।

- **यह घटना 4 जून 2020 तालाबंदी के शुरुआती** समय की है। तारा नाम कि महिला ने बताया कि उनके पति 15 सालो से मार पीट और गाली गलौज करते आ रहे है। लेकिन वह नौकरी करती थी। इसलिए ज्यादातर घर से बाहर रहती थी। उनके पति भी काम पर होते थे। जिस बजह से वो दोनो ज्यादा समय साथ नहीं रहते थे। अब तालाबंदी के चलते बहुत कुछ बदल गया था। उसका पति उसे रोज मारता था। उसका किसी के साथ फोन पर बात करना मुश्किल हो गया था। अपनी साथ हो रही हिंसा की शिकायत भी कर नहीं पा रही थी।
- तालाबंदी के चलते गुजरात में भी आयशा नाम की लड़की जिसने अपने पति पर मारने, पीटने और मानसिक रूप से परेशान करने का इल्जाम लगाया था। तालाबंदी में घर में परेशान होकर उस लड़की ने खुलेआम साबरमती नदी में कुद कर आत्महत्या कर ली।
- **कोरोना काल के दौरान गुजरात में हुई यह घरेलू** हिंसा की घटना दिल दहला देने वाली थी। एक बजुर्ग महिला ने मुंबई में कोर्ट का दरवजा खटखटा कर अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगया है। 62 वर्षीय महिला ने बताया कि पिछले 45 वर्षो से पति के उत्पीड़न का शिकार हो रहे थी परंतु इस तालाबंदी के चलते वो इतनी परेशान हो गई की उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।
- **घरेलू हिंसा की घटनाओ से बॉलीवुड** भी दूर नहीं है। अभी हाल ही की घटना जोकि टी.वी. जगत में काम करने वाली निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा पर तालाबंदी के दौरान मारने और पीटने का इल्जाम लगाया है। इस घटना से यह भी पता चलता है। कि हिंसा सिर्फ गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारो की महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि समाज के आर्थिक तौर से मजबूत तवको की महिलाओं के साथ भी हो रही है।
- **दिल्ली से सटी हाईटेक सिटी गुरुग्राम** की जल बिहार कालोनी सेक्टर 46 में यह मामला सामने आया है। जहाँ मेड के तौर पर काम करने वाली 25 साल की नेहा ठाकुर के साथ उसका पति बिहार निवासी लंबे समय से ज्यादतियां कर रहा था। शराब पी कर आए दिन शारीरिक हिंसा करता था। मानसिक तौर पर परेशान देखकर वहा की महिला ने पूछा तो उसने अपने जुल्म की सारी कहानी बताई तो महिला ने तुरंत इसकी शिकायत हरियाणा राज्य महिला आयोग तक पहुचाई और नेहा को न्याय दिलाने की कोशिश की।
- **भोपाल में रहने वाली 30 साल** कि एक महिला को कोरोना के लक्षण थे। उसने पति से इलाज करने कि गुहार लगाई तो पति ने डॉक्टर के पास ले जाने की जगह उसे एक कमरे में बंद कर दिया। ताकि दुसरे लोग संक्रमित न हो जाए महिला ने गौरवी हेल्पलाईन नंबर मदद मांगी। इस तरह के मामले भी घरेलू हिंसा के सामने आये। कोविड 19 के कारण महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा किसी एक वर्ग कि महिला के साथ नहीं बल्कि महिलाओं के हर वर्ग के साथ हुई है। चाहे वो उच्च वर्ग हो या समान्य कोविड 19 में घरेलू हिंसा के कारण गरीब वर्ग हो या फिर मध्यम वर्ग की सब महिलाएं इस से प्रभावित हुई है। कोविड 19 के दौरान बढ़ी घरेलू हिंसा का मुख्य कारण यह है। कि तालाबंदी के दौरान परिवार घरों में कैद रहे हैं।
- **ऐसे में घर के कामकाज को लेकर परिवार** के सदस्यों में आपसी मतभेद हो रहे थे। घर के कामों को

लेकर आपसी लड़ाई इसका एक प्रमुख कारण रही है। वहीं कोविड-19 के दौर में पूरे समय घर में रहने पर पुराने विवाद भी उभरकर सामने आए हैं। ऐसे में पुराने विवादों को लेकर भी काफी बहस हुई है। तालाबंदी के फुरसत के पलों में पुराने विवाद दोहराए गए हैं। घरेलू हिंसा के जो विवाद सुलझ चुके थे, वो तालाबंदी के दौरान फिर से उभर कर सामने आये है। जिन परिवारों में पतियो को नशे की आदत थी, उन घरों में अधिकतर विवाद हुए। नशे में होने के कारण घर में रोज के लड़ाई-झगड़े शुरू हुए, ऐसे में घरेलू हिंसा बढ़ी। ऐसी महिलाएं जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, वे समाज के डर से या अपने भविष्य के बारे में सोचकर घर पर ही रह जाती हैं और खुलकर अपनी समस्या नहीं कह पाती, तालाबंदी ने महिलाओं की समस्याओं को और ज्यादा गहरा कर दिया।

भारतीय घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं के आकड़े :

भारतीय समाज में यह माना जाता है कि हमारा समाज पुरूषप्रधान है। सदियों तक महिलाओं का यहाँ दमन हुआ है। खास तौर पर विकासशील देशों में लिंग पर आधारित सामाजिक और सांस्कृतिक नियमो ने महिला को लाचार किया। महिलाओं को पितृसत्ता में सक्रिय भागीदार और उसे लागू करने वाला बनाया। ग्रामीण इलाको में प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक नियमों ने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोका, जीवन के कई क्षेत्रों में महिलाओं की नुमाइदगी जरुरत से कम है। श्रम बाजार में पुरूषों के 78% के मुकाबले 55% महिलाओं 15-64 वर्ष कि उम्र की भागीदारी है। आर्थिक आधार और सामाजिक पद्धतियों में बदलाव की बजह से महिलाएं उन स्थापित नियमों पर सवाल उठा रही है। जो सदियों से उनके ऊपर थोपे गए हैं लेकिन इसके बाबजूद हालात जल्दी नहीं बदलने वाले रिपोर्ट 2020 के मुताबिक राजनैतिक नुमाइदगी में लैगिक अंतर को बराबर होने में 95 वर्ष लगेंगे। जब बात आर्थिक भागीदारी की आती है तब हालात और भीखराब है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर आर्थिक भागीदारी में लैगिक समानता हासिल करने में 257 वर्ष लगेंगे। इस तरह कोविड 19 महामारी ने वास्तव में महिलाओं के लिए हालात को और भी बिगाड़ा है।

महामारी के दौरान महिलाओं से अलग तरीके का सलूक किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र वैश्विक जनबल में महिलाओं की हिस्सेदारी दो तिहाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला और पुरूषों के वेतन में 28% का अंतर है। भेदभाव के बाबजूद महिलाएं इस जानलेवा वायरस की लड़ाई में नर्स और देखभाल करने वाली के तौर पर फ्रंटलाईन पर काम कर रही है। मैकीज की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोविड 19 महामारी की बजह से वैश्विक स्तर पर महिलाओं की नौकरी गावाने की दर पुरूषों के नौकरी गांवाने की दर से 1.8 गुना ज्यादा है। महिलाओं का एक बडा हिस्सा कोविड 19 महामारी के आर्थिक और सामाजिक असर की पीड़ा से जुझ रहा है। कोविड 19 के चलते महिलाओं का लैंगिक आधार पर भी शोषण हुआ है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी तालाबंदी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में इज़ाफा दर्ज किया है। इसकी अध्यक्षा रेखा शर्मा ने बी.बी.सी से बातचीत में बताया कि इसके लिए महिला आयोग ने व्हॉटसअप नंबर शुरू किया है। 23 मार्च से 16 अप्रैल तक के बीच करीब तालाबंदी के शुरुआती तीन हफ्ते में महिला आयोग ने घरेलू हिंसा के 239 मामले दर्ज किए गये थे। इन मामलों कि तुलना में काफी ज्यादा है। जो तालाबंदी के शुरू होने के महीने में आए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के आकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 से

25 मार्च 2021 के बीच महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हुई 1,463 शिकायते प्राप्त हुई। एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों के मुताबिक, तालाबंदी के दौरान घरेलू हिंसा के 69 मामले, गरिमा के साथ जीने के 77 मामले, विवाहित महिलाओं की प्रताड़ना के 15 मामले, दहेज की वजह से हत्याओं के दो मामले, बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के 13 मामले दर्ज हुए हैं। घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की सर्वाधिक 90 शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। दिल्ली से 37, बिहार से 18, मध्यप्रदेश से 11 और महाराष्ट्र से 18 शिकायतें आयी हैं। तालाबंदी से पहले उत्तर प्रदेश से समान अवध में 36, दिल्ली से 16, बिहार से आठ, मध्य प्रदेश से चार और महाराष्ट्र से पांच शिकायतें दर्ज हुई थीं। आकड़ों अनुसार अप्रैल के 2020 के हिंसा खिलाफ अपराध की 25,886 शिकायते मिली है। जिसमें घरेलू हिंसा कि 8,865 शिकायते शामिल है।

2018 के आकड़ों के मुताबिक रिश्तेदार द्वारा महिलाओं पर होने वाले हिंसा के मामले करीब 32 फीसदी है। मतलब एक तिहाई पुलिस 2018 में 103, 272 ऐसे मामले दर्ज किए थे। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक 2015-16 के दौरान औरतों का किसी न किसी रूप में पति के हिंसा का शिकार होना पड़ा हैं। फिर चाहे वो शारिरिक, यौनिक या भावनात्मक स्तर पर हो यह भी मानना है कि हताशा के कारण भी हिंसा में बढ़ोतरी हुई।

समाचार एजेन्सी पी.टी.आई के मुताबिक घरेलू हिंसा की शिकायतो की संख्या तालाबंदी के महीने के दौरान बढ़ती गई जुलाई 2020 में 660 शिकायते प्राप्त हुई।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अपनी दिसंबर की रिपोर्ट में जारी किया था। पांच रज्यों कि 30 फीसदी से अधिक महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक, यौन हिंसा एन.सी.डब्लू के आकड़ों अनुसार अप्रैल के 2020 के खिलाफ अपराध की 25,886 शिकायते मिली है। जिसमें घरेलू हिंसा कि 8,865 शिकायते शामिल है,जो की शिकार हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में सबसे ज्यादा कर्नाटक, असम, मिजोरम, तेलंगाना और बिहार से है। एनएफएचएस के सर्वेक्षण के आकड़ों के मुताबिक, बिहार में 40 फीसदी महिलाओं उनके पति के द्वारा शारीरिक और हिंसा को सहना पड़ा। वही मणिपुर में 39 फीसदी, तेलंगाना में 36.9 फीसदी, असम 32 फीसदी और आंध्रप्रदेश में 30 फीसदी माहिलएं घरेलू हिंसा शिकार हुई है। इस सर्वेक्षण में साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो में पिछले एनएफएचएस सर्वेक्षण की तुलना में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की है। इनमे असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर और लदाख शामिल है। इसके अलावा नव राज्यों और केंद्र शासित में 18 साल से 29 वर्ष ककी लड़कियों और महिलाओं के उत्पीड़न के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इनका कहना था कि उन्हें 18 साल की उम्र तक यौन हिंसा का सामना करन पड़ा। असम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और लदाख शामिल है।

डॉ. लक्ष्मण के मुताबिक लगभग 1000 लोगों का डेटा उतरप्रदेश के अलग अलग शहरो से जुटाया गया और इसमें देखा गया है कि कौन-कौन से शहर सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा से कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए हैं। घरेलू हिंसा केस में लखनऊ सबसे ऊपर रहा, जहाँ 120 केस आए इसके बाद

कानपुर 104-105 केस आये मेरठ तीसरे नंबर पर था। जहाँ 87 केस दर्ज हुए है बरेली मे 80, फिर आगरा में 73-75 और 60-65 केस दर्ज हुए हैं। बनारस पाचवें नंबर पर रहा है, इसके अलावा गोरखपुर में 50 से 55, प्रयागराज में 40 के आस पास जबकि मुरादाबाद में घरेलू हिंसा के सबसे कम 30 से 35 केस आए है।

कोविड 19 के चलते पूरे भारत में घरेलू हिंसा की घटनाओं ने अपना शिखर पकड़ लिया है। ऐसे तो हिंसा की घटनाएं इस महामारी से पहले भी होती थी। परन्तु, इस महामारी के कारण होने वाली हिंसा की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2019 के आकड़ो को दखे तो 2020 में हिंसा की घटनाएं दोगुना तेजी से बढ़ी है। ऊपर लिखे आकड़ों से यह सपष्ट होता है कि यह तालाबंदी महिलाओं के लिए कितनी दर्दनाक रही है। महिला किसी भी राज्य की क्यों न हो, सबके को इस तालाबंदी के चलते किस तरह से मानसिक और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा, अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को वो तालाबंदी के चलते सहते रही। उन्होंने तो अपनी साथ हो रहे हिंसा की ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से अपने लिए मदद मांगी। लेकिन जो महिलाए शिक्षित नहीं थी। वो अपने साथ हो रही हिंसा की शिकायत न कर पायी और यह सब महिलाएं घरों में पुरूषों के अपने बढते तनाव के चलते भी हिंसा का शिकार हुई है।

विश्व भर में तालाबंदी के चलते घरेलू हिंसा और महिलाएं:

कोविड 19 महामारी के चलते कई देशों में तालाबंदी जारी थी। इस समय पुरे विश्व में जो घरेलू हिंसा की बढती घटनाओं में वृद्धि हुई है। हिंसा की बढती घटनाओं में वृद्धि ने सयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस को भी परेशान कर दिया और उन्हें लोगों से अपील करनी पडी। एंटोनियो गुटेरेस ने कहाँ "शांति का मतलब युद्ध का ना होना नहीं हैं। कोविड 19 को लेकर लॉकडाउन के तहत कई महिलाओं और लडकियो के लिए जहाँ अपने घरों में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था वहाँ खतरे की सबसे अधिक संभावना दिखी। आज में दुनिया भर के घरों में शांति के अपील करता हूँ। मै सभी सरकारो से आग्रह करता हूँ। कि वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनके निवारण के लिए कदम उठाये" द जेन्डर सिक्योरटी प्रोजेक्ट की संस्थापक, साहस ऐप की कोडर व महिला अधिकारी कार्यकर्ता कीर्ती जय कुमार बताती है। कि लॉकडाउन ने निश्चित रूप से दुनिया भर में लिंग आधारित हिंसा के उदाहरणो कि संख्या में वृद्धि की है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में (जहाँ मेरे जानने वाले ने मेरे ट्वीट थ्रेड में रेप्लाई कर 300% वृद्धि होने कि सूचना दी) और फ्रांस जिसने हिंसा को लेकर मिली कॉल पर जबरदस्त कार्यवाई कर और एक हॉटेल को महिला के लिए शरणार्थी के रूप में पेश करके खूबसूरती से इससे निपटने को लेकर प्रतिक्रिया दी है जैसे कि अगर गैर् लॉकडाउन दुनिया कि बात करे तो, यहां लोगों ने अलग अलग टारगेट किया है। जब एक इंटरसेक्शनल लैंस के मध्यम से देखा जाता है, तो आप पहचान सकते है कि जाति, वर्ग, क्षमता, विकलांग, उम्र, सेक्सुल ओरिएनटेशन लिंग अभिव्यक्ति जैसे कई कारक भेदयता बढ़ाने के लिए कैसे काम करते है।

उन्होंने आगे बताया कि किस तरह बैंगलोर में स्थित एक गैर् सरकारी संगठन फोरम फोर वीमेन राइटस की सह संस्थापक डोमोना फर्नाडिस हाल ही में हुई। एक घटना के बारे में बात करती है। और बताती है कि कोई भी शेल्टर घरेलू हिंसा शोषण का शिकार उस महिला को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई थी, क्योंकि वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह वायरस से संक्रमित तो नहीं थी। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं कोविड 19 लॉकडाउन के समय घटित हुई, जिनकी हमे शायद

जानकारी भी नहीं है। अगर घरेलू कामगार की स्थिति पर भी प्रकाश डालते है। जो अपने घरों में ही सीमित रह गई। जहाँ कि उनके परिवार के सदस्य अक्सर अपमानजनक होते हैं। वह कहती है जो मामले देखे है, उनमें महिलाओं ने संकेत दिया है कि तालाबंदी के चलते उनके पति को शराब नहीं मिल रही है। ऐसे में जब वह हताश होकर लौटते हैं तो वह अधिक हिंसा करते है जिन घरों में महिलाएं ही कमाने वाली है वहाँ लॉकडाउन के चलते उन्हें काम के लिए नहीं जाना पड़ता, लेकिन उनका वेतन तक उन तक नहीं पँहुचता है। वह अपनी नियोक्तायों से जातिवादी और वर्गवादी व्यवहार सामना करती है, जो या तो उन्हें भुगतान नहीं करते या उन्हें देरी से भुगतान करते हैं, जो पैसो कि किल्लत और संसाधनो तक पँहुचने में देरी भी उन्हें उनके पति के हाथो हिंसा के लिए निशान बनाती है। पुणे में स्थित मनोचिकित्सक राधिका वापट मोर स्टोरी में कहती है कि घरेलू हिंसा किसी क्लास द्वारा सीमित नहीं है। वह कहते है मेरे कलाइटनट मिडल, हायर मिडल और समृद्धि सामाजिक आर्थिक वर्ग के हैं लेकिन मेरे पास कई शर्तो के बाजूद संवेदनशील जानकारी सांझा करने के लिए उनको सूचित सहमति नहीं है।

निष्कर्ष :

कोविड 19 के तहत महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा ने कहीं न कहीं बुरी तरह से महिलाओं के जीवन पर आघात किया है। अगर हम देखे तो हमारे समाज में यह महिलाओं के साथ होने वाली नई बात नहीं है। इस से पहले भी समाज में अनेकों प्रकार से घरों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती थी। परंतु 2020 में आयीइस कोविड 19 की महामारी ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया। महामारी होने के कारण घरों में रहने वजह से घरेलू हिंसा के आंकडे और ज्यादा बढ़े। महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से भी आघात हुआ। सदियों से विभिन्न प्रकार कि यातनाओं को सहते हुए भी अनेकों प्रताड़नाओं से महिलाएं अभी भी जूझ रही है। हमारा समाज पुरूषप्रधान समाज होने के कारण पुरूष अपने अस्तित्व को दिखाने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के नजरियए से भी महिलाओं को अपने पैर के नीचे रखने की प्रवृति के कारण भी वह ऐसी हिंसक घटनाओं को अंजाम देता है।

घरेलू हिंसा के कारण किसी एक तबके की महिला का नहीं बल्कि सभी तबके के महिलाओं को प्रभावित किया है। वो महिला घर में रहने वाली हाउस वाईफ हो, बाहर काम करने वाली वर्किंग महिला हो, गर्भवती महिला हो, विधवा महिला हो, श्रमिक महिला हो, कामगार महिला हो या फिर किसी क्षेत्र में काम करने वाली महिला ही क्यों न हो सबको कहीं न कहीं इस हिंसा ने प्रभावित किया है। महिलाओं के मानसिक व शारीरक स्तर को भी तोड़ कर रख दिया।

इसी तरह बहुत सारे मुद्दे हैं। जो दिखाते है कि कोविड 19 में घरेलू हिंसा को लेकर भारत सरकार भी कानुनों के माध्यम से प्रयास करने कि कोशिश रही है। लेकिन उसके साथ ही हमारे समाज को भी इसके प्रति जागरूक होना होगा, सरकार के प्रयासो के साथ-साथ समाज में बैठे पुरूषप्रधान समाज की मानसिकता को बदलने की भी आवशकता है। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को इसके प्रति सचेत और जागरूक होना होगा नहीं तो इसका समाधान बहुत मुश्किल हो जायेगा। हमे भी सतर्क रहना चाहिए यदि हमारे आसपास कोई घरेलू हिंसा की घटना घटित होती हैतो यह न सोचते हुए कि वो किसी दूसरे के साथ हो रहा है। जल्द ही उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि अगर समाज में रहने वाला व्यक्ति ही आवाज नहीं उठाएगा तो आनेवाले अनेकों वर्षो तक किसी न किसी महिला का कहीं न कहीं शोषण होता रहेगा।

संदर्भ सूची :

1. जैन, ए. (2005-2020). गरेलू हिंसा से महिलओं का संरक्षण विधि, इंडिया लॉ हॉउस, इंदौर
2. दीक्षित, ड. श. (2010). घरेलु हिंसा समस्या और समाधान, अमन प्रकाशन, दिल्ली
3. राजपूत, स. च. (2019). घरेलु हिंसा अधिनियम और महिलाएं, अर्जुन प्रकाशन, औरंगाबाद
4. नई दिशाये अंक 17, वर्ष: 2020 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

वैबसाइट :

1. https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/mumbai/crime/molestation-and-rape-cases-in-maharashtra-covid-centres-are-increasing/articleshow/78122843.cms
2. https://www.orfonline.org/hindi/research/covid-19-and-its-gendered-impact/
3. https://www.ideasforindia.in/topics/social-identity/covid-19-lockdown-and-domestic-abuse-hindi.html
4. https://www.bbc.com/hindi/india-52894998
5. http://thewirehindi.com/116341/coronavirus-lockdown-domestic-violence-abuse-surge-un-ncw-task-force/
6. https://www.epw.in/tags/domestic-violence
7. https://hi.vikaspedia.in/e-governance/online-legal-services/92e93992494d93592a94293094d923-
8. https://www.bbc.com/hindi/india-52796203
9. https://www.uok.ac.in/notifications/(3)%20Kavita%20Choudhary.pdf
10. https://www.dw.com/hi/pandemic-inflames-violence-against-women/a-55707450